भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2013
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान

2013. श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के सहयोग से नियुक्त प्रमुख अध्यापकों को वेतन प्रदान करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), भुवनेश्वर को सुकर तरीके से आवर्ती अनुदान जारी करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन तथा नवीनीकरण के लिए चार किस्तों में अनुदान जारी करने के विषय में एसआईआरडी, भुवनेश्वर को गैर-आवर्ती अनुदान जारी करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अनुदान को चार किस्तों में जारी करने से कार्य-निष्पादन में होने वाले विलंब के कारण उसे बदलकर दो किस्तों वाली प्रणाली को वापस लाया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मनरेगा योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है तथा कितना व्यय किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्त वर्ष 2024-25 में, आवर्ती और गैर -आवर्ती अनुदानों के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)/विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (प्रशिक्षण पोर्टल) शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान , भुवनेश्वर को 67.966 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 33.983 लाख रुपये आवर्ती अनुदान (जिसमें मुख्य संकाय सदस्यों और गैर -

शिक्षण कर्मचारियों का वेतन शामिल है) के लिए पहली किस्त के रूप में पहले ही 29.01.2025 और 14.02.2025 के स्वीकृति आदेश के तहत जारी किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) : व्यय विभाग द्वारा निधियां जारी करने के लिए जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार , मंत्रालय/विभाग जहां तक संभव हो सके , 'समय पर' तरीके से निधि जारी करेंगे और किसी भी स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में एक बार में योजना के तहत संबंधित एजेंसी को निर्धारित राशि का 25% से अधिक जारी नहीं करेंगे। अतिरिक्त निधियां (एक बार में 25% से अधिक नहीं) केवल तभी जारी की जाएगी जब पहले जारी की गई निधियों का कम से कम 75% उपयोग हो चुका हो। तदनुसार , वित्त वर्ष 2022-23 से, एसआईआरडी/ईटीसी सहित एसआईआरडी , भुवनेश्वर को आवर्ती और गैर -आवर्ती अनुदान जारी किए गए , जो एक बार में वित्त वर्ष के लिए सीएनए आवंटन के 25% से अधिक नहीं है।

दो के बजाय चार किस्तों में अनुदान जारी करने से निधि उपयोग की निगरानी और जवाबदेही बढ़ गई है , जिससे कार्य प्रगति की अधिक लगातार समीक्षा हो सकेगी , ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधि का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

(घ) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष के दौरान "सहमत" श्रम बजट और राज्यों के निष्पादन के आधार पर निधियां जारी की जाती है तथा राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधीन व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

"एसआईआरडी को अनुदान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियां (रुपए करोड़ में)				
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	7182.67	7989.09	7332.63
2	अरुणाचल प्रदेश	453.74	577.58	426.1
3	असम	2220.26	2052.35	2221.38
4	बिहार	5407.37	6395.29	6200.03
5	छत्तीसगढ	3894.34	3383.55	2888.56
6	गोवा	0.04	5.12	0.88
7	गुजरात	1615.24	1692.07	1801.62
8	हरियाणा	722.68	373.99	476.71
9	हिमाचल प्रदेश	975.75	1157.48	997.13
10	जम्मू और कश्मीर	950.14	1050.61	920.44
11	झारखंड	3063.83	2708.64	2916.76
12	कर्नाटक	6028.08	6225.28	5415.74
13	केरल	3551.93	3818.43	3513.48
14	मध्य प्रदेश	8479.09	5702.13	5871.14
15	महाराष्ट्र	2056.46	2549.73	3034.44
16	मणिपुर	563.11	1086.63	0
17	मेघालय	1121.66	1116.92	912.33
18	मिजोरम	548.92	538.72	506.06
19	नागालैंड	569.46	897.45	637.96
20	ओडिशा	5680.15	4638.36	4891.89
21	पंजाब	1257.59	1182.13	1166.55
22	राजस्थान	9867.75	9662.99	8671.62
23	सिक्किम	112.42	92.55	111.95
24	तमिलनाडु	9638.13	9706.62	12603.36
25	तेलंगाना	4105.2	2988.68	3508.59
26	त्रिपुरा	988.88	922.03	1043.59
27	उत्तर प्रदेश	8509.57	10629.01	9808.55
28	उत्तराखंड	642.03	792.84	551.66
29	पश्चिम बंगाल	7507.8	0	0
30	अंडमान और निकोबार	7.63	9.6	0

31	लक्षद्वीप	0.3	0	0
32	पुदुचेरी	13.07	24.95	58.77
33	लद्दाख	59.04	68.93	62.64
34	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	0	1.62	2.21
कुल		97794.33	90041.39	88554.76

"एसआईआरडी को अनुदान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।				
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (राज्य अंश सहित) (रूपये करोड़ में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	8301.609	8623.482	8940.298
2	अरुणाचल प्रदेश	478.3181	583.1308	581.1357
3	असम	2380.986	2041.853	2435.944
4	बिहार	6502.047	6684.007	7896.882
5	छत्तीसगढ	3979.796	3589.82	3847.877
6	गोवा	3.7468	4.2177	2.5065
7	गुजरात	1735.433	1973.615	2040.889
8	हरियाणा	707.0429	471.193	584.5506
9	हिमाचल प्रदेश	1088.493	1290.568	1283.844
10	जम्मू और कश्मीर	1144.05	968.6614	1218.461
11	झारखंड	3049.491	2929.703	3781.531
12	कर्नाटक	6202.721	6597.608	6612.276
13	केरल	4022.752	3991.042	3968.684
14	लद्दाख	58.1516	67.4849	70.0852
15	मध्य प्रदेश	8037.911	7793.959	7131.495
16	महाराष्ट्र	2423.404	3026.056	4462.229
17	मणिपुर	924.8306	804.4516	664.1349
18	मेघालय	1127.169	1265.976	1091.753
19	मिजोरम	529.9057	541.9921	705.7712
20	नागालैंड	539.0503	889.9319	772.6708
21	ओडिशा	5872.338	5535.564	5432.742
22	पंजाब	1279.348	1337.845	1318.309
23	राजस्थान	10454.27	10186.39	9293.697

24	सिक्किम	117.7846	106.5296	128.6401
25	तमिलनाडु	9795.618	11421.01	13392.87
26	तेलंगाना	4191.52	3443.156	4072.665
27	त्रिपुरा	1084.82	1008.529	1126.579
28	उत्तर प्रदेश	8758.675	11933.22	11396.7
29	उत्तराखंड	628.6055	909.099	723.1414
30	पश्चिम बंगाल	10908.58	1062.527	183.247
31	अंडमान और निकोबार	6.2098	3.4936	4.9572
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	1.0818
33	लक्षद्वीप	0.0446	0.1295	0.1258
34	पुदुचेरी	14.3641	23.7112	61.6095
	कुल	106349.1	101109.9	105229.4

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

****